

भारत संचार निगम लिमिटेड
Bharat Sanchar Nigam Limited
 (भारत सरकार का उद्यम)
 (A Govt. of India Enterprise)
 ऋण एवं अग्रिम अनुभाग
Loan & Advance Section

सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम धन लेने के लिए आवेदन-पत्र
Application for GPF Advance

1. अंशदाता का नाम:
Name of subscriber:
2. पदनाम:
Designation:
3. मूल नियम में यथा-परिभाषित अंशदाता का वेतनमान (सीडीए:और आईडीए सहित)Basic Pay of subscriber (in CDA or IDA):
4. अंशदाता के सामान्य भविष्य निधि का लेखा सं०:
Subscriber's GPF A/C No.
5. उस कार्यालय का नाम जहां इस समय उनके सामान्य:
भविष्य निधि लेखा का लेखा रखा जा रहा हैOffice in which GPF
A/c is maintained at present:
6. किस कार्यालय से स्थानांतरित किया गया है:
Office from which transferred :
7. कितनी अग्रिम धनराशि के लिए आवेदन किया गया:
Amount of advance applied for :
8. अग्रिम धन किस प्रयोजन के लिए लिया जा रहा है:
Purpose of advance :
9. इस तारीख को अंशदाता के खाते में जमा शेष:
(नीचे दिए गए विवरण के अनुसार)Balance at credit of the
subscriber on this
Date (vide details furnished below) :
10. 3आज की तारीख को पिछले अग्रिम के बकाए का विवरण, यदि कोई हो :
Particulars of previous advance if any, outstanding on this date :

क्रम सं० S.No.	मंजूरी की तारीख Date of sanction	संस्वीकृत राशि Amount sanctioned	पिछला बकाया Balance outstanding	अग्रिम का प्रयोजन Purpose of advance

11. मद सं० 7 और 10 को समेकित अग्रिम की राशि और समेकित अग्रिम की मासिक किश्तों की संख्या व राशि जिसमें अग्रिम राशि की अदायगी की जानी है Amount of the consolidate advance items 7 & 10 and number & amount of monthly instalments in which the consolidate advance is proposed to be paid रु० ... ऊऊऊ.....की धनराशि रु०.....प्रति किश्त के हिसाब से..... किश्तों में वसूल की जानी है Amount of Rs.....to be recovered in instalments of Rs. each.
12. अंशदाता की आर्थिक परिस्थितियों का पूरा विवरण अस्थाई वापसी के लिए आवेदन का औचित्य सिद्ध करें।
Full particulars of the penuniary circumstances of the subscriber. Justify the application for the temporary withdrawal.

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विगत दो कलेण्डर वर्ष के दौरान कोई भी सामान्य भविष्य निधि अग्रिम/ वापसी नहीं ली है ।
I declare that I have/not taken any GPF advance/withdrawal during the preceding two months.

हस्ताक्षर.....
Signature
पदनाम.....
Design.....
अनुभाग.....
Section

दिनांक : टेलीफोन न०.....

Date : Tele

Ph.....

टिप्पणी : यदि आवेदित अग्रिम की राशि तीन महीने के वेतन से अधिक नहीं है तो किश्तों की अधिकतम संख्या 24 हो सकती है ।
तथापि यदि, अग्रिम की राशि 3 महीने के वेतन से अधिक है तो किश्तों की अधिकतम संख्या 36 होगी ।

NOTE: If the advance applied for is upto 3 months pay the maximum number of instalments can be 24 it, however, the advance excess 3 months pay the maximum number of instalments can be 36.

.....की स्थिति के अनुसार आवेदन पत्र के कालम-9 में दिखाए गए शेष का अलग-अलग ब्यौरा :-

Break up of balance as on 28.3.89 as shown in col.9 of the application :-

(i) वर्ष.....के वार्षिक विवरण के अनुसार शेषRs.....
रु०.....Balance as per Annual Statement for the ...

year

(ii) जमा-वर्ष के दौरान जमा:

Add credits during the year

(क)(a) अंशदान

रु०.....Subscription

(ख)(b) अग्रिम की वापसी

रु०.....Refunds

(ग)(c) (क) और (ख) का जोड़

रु०.....Total of (a) &

(b)

(iii) और (ii) का जोड़.....Total of (i) & (ii)

(iv) घटा-वर्ष के दौरान अंशदाता के नामे डाली गई राशि:

Substract debits during the year :

(क)(a) अग्रिम रु०.....Advance

Rs.

(ख)(b) अंतिम वापसी रु०.....Final

withdrawal Rs.....

(ग)(c) जीवन बीमा प्रीमियम की वापसी

रु०.....L.I. Premium

withdrawal Rs.

(घ)(d) (क),(ख) और (ग) का जोड़

रु०.....Total of (a), (b) &

(c) Rs.....

(v)की स्थिति के अनुसार शेष अर्थात (iii) को घटाकर:

Contd.....3/

मद सं0 3,4,5,9 और 10 में दिखाए गए विवरण सत्यापित कर दिए गए हैं
Particulars shown against items 3,4,5,9 & 10 have been verified.

अनुभाग अधिकारी (वेतन बिल)
Section Officer (Pay Bill)

रोकड़ एवं लेखा अनुभाग की अभ्युक्तियां
Remarks of Cash & Accounts Section

- (क) धनराशि जिसके लिए आवेदन किया गया है, सामान्य रूप से अनुमत्य है, अतः इसके लिए किसी प्रकार की छूट की आवश्यकता नहीं है।
(a) The advance applied, for is admissible in an ordinary so it does not involve any relaxation.
(ख) अतः सामान्य भविष्य निधि (सिविल सेवा) नियमावली, 1960 के नियम 12(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति आवश्यक है :
(b) Special sanction of the competent authority under rule 12(2) of GPF(CS) rules, 1960 is necessary as the advance applied for :
(i) कर्मचारी/अधिकारी तीन महीने के वेतन से अधिक है।
exceed three month's pay of the official/office.
(ii) उसके खतो में जमा धनराशि के आधे से अधिक है।
exceeds half of the amount outstanding at his credit.
(iii) यद्यपि पिछले अग्रिम/अग्रिमों की पूरी अदायगी नहीं की गई है तथापि अग्रिम के लिए फिर से आवेदन किया गया है।
has been applied even though previous advance(s) have not been fully repaid.

मामला आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत है। इस मामले में उचित मंजूरी प्रदान करने वाले प्राधिकारी
.....हैं। (आदेशों की प्रत्याशा में प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

The case is submitted for favour of necessary action. The appropriate sanctioning authority in this case (DFA in anticipation of orders).

उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि रु0..... है।
Amount balance at his/her credit Rs.

अनुभाग अधिकारी (ऋण एवं अग्रिम)
Section Officer (L&A)

सहायक महानिदेशक (कार्मिक-II)
Asstt. Director General(Pers.II)